भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4042

30 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसबीएम 2.0 योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग

4042 श्री समीरुल इस्लामः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत से अब तक इस योजना के अंतर्गत निधि आवंटन और उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) योजना की शुरुआत से अब तक संस्वीकृत और संचालित किए गए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): स्वच्छ भारत मिशन -शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को 36,465 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ 1,41,600 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, निधियों का केन्द्रीय हिस्सा पूरे मिशन अवधि के लिए आबंटित किया जाता है न कि वार्षिक आधार पर। एसबीएम-यू 2.0 के तहत वर्षवार जारी/उपयोग की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (26.03.2026 तक)
जारी की गई/उपयोग की गई निधियां	1132.77	1753.86	2392.49	1892.86	1694

(ख): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना के लिए एसबीएम-यू 2.0 के तहत अनुमोदित कार्य योजनाओं का राज्य-वार विवरण संलग्न है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत अनुमोदित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई चालू और निर्माणाधीन अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का राज्यवार विवरण https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक

"एसबीएम 2.0 योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग" के संबंध में 30.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4042 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्षमता (टीपीडी में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपशिष्ट से खाद संयंत्र	बायो-मिथेनेशन संयंत्र	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं	अपशिष्ट से बिजली	सेनेटरी लैंडफिल	सी एंड डी अपशिष्ट
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34.00	0.00	8.34	0.00	14.24	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3064.00	165.00	2954.00	0.00	1685.78	650.00
3	अरुणाचल प्रदेश	67.00	0.00	47.50	0.00	20.00	0.00
4	असम	509.10	60.00	480.00	0.00	210.00	0.00
5	बिहार	3431.40	100.00	2965.00	0.00	1321.90	253.47
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	1200.52	0.00	763.96	0.00	436.54	0.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0.00	46.00	68.00	0.00	0.00	0.00
11	गुजरात	6218.96	312.00	6042.37	108.00	2782.75	528.74
12	हरियाणा	1541.35	0.00	980.87	0.00	276.07	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	104.88	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	458.85	525.00	783.55	0.00	341.64	190.00
15	झारखंड	213.40	0.00	135.20	0.00	74.10	99.64
16	कर्नाटक	447.00	420.00	4277.36	460.00	1273.47	302.00
17	केरल	533.90	548.15	237.70	0.00	0.00	133.00

18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	1707.40	1132.35	1569.70	489.18	1918.76	226.97
20	महाराष्ट्र	5396.04	837.00	4606.00	700.00	1635.17	2935.00
21	मणिपुर	97.00	0.00	111.50	0.00	65.13	0.00
22	मेघालय	32.50	0.00	56.50	0.00	32.50	0.00
23	मिजोरम	175.50	0.00	98.00	0.00	51.05	0.00
24	नागालैंड	181.00	0.00	124.50	0.00	60.32	0.00
25	ओडिशा	1554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	207.77
26	पुडुचेरी	249.00	0.00	110.00	0.00	40.08	0.00
27	पंजाब	600.10	1544.00	597.09	831.00	680.83	374.00
28	राजस्थान	3711.00	500.00	1549.11	224.00	1376.13	349.00
29	सिक्किम	10.40	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
30	तमिलनाडु	2492.50	2012.00	5563.00	1500.00	1765.66	325.00
31	तेलंगाना	1912.86	40.00	2976.22	150.00	1821.91	950.00
32	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	उत्तर प्रदेश	6433.68	0.00	2382.25	666.56	4926.95	635.14
34	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पश्चिम बंगाल	4871.10	460.00	4272.00	0.00	1323.40	355.00
	कुल	47249.38	8701.50	43853.97	5128.74	24134.38	8514.73
